प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

सुरक्षित किया गया : 19–09–2025

पारित किया गया: 23–06–2025

द्वितीय अपील सं 294/2011

1. मुरलीधर वर्मा (मृत) विधिक प्रतिनिधि के द्वारा (माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 02.04.2025 के अनुसार किया गया संशोधित किया गया)

1.1 – (ए) सीता बाई पति शेरसिंह ,लगभग 44 वर्ष, निवासी गाँव–बोरतारा, तहसील–साजा, जिला–बेमेतारा (छ.ग.)

1.2 – (बी) चंद्रिका वर्मा पति युवाकरण वर्मा लगभग 44 वर्ष निवासी गाँव–तुमडीबोद, डोंगरगांव, राजनंदगांव, जिला–राजनंदगांव (सी. जी.)

1.3 – ((ग) द्रोपति वर्मा पति उनिवासीश्वर 40 वर्ष निवासी गाँव–नागतरई, जटकनहर, डोंगरगढ़, राजनंदगांव, जिला–राजनंदगांव (सी. जी.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. जय प्रकाश पिता मुरलीधर वर्मा, 32 वर्षीय किसान तथा निवासी बेलारगोंडी, ताह। छुरिया, जिलाराजनंदगांव, छत्तीसगढ़, जिलाःराजनंदगांव ,छत्तीसगढ़

3. लेखचंद पिता मुरलीधर वर्मा, 27 वर्षीय किसान तथा निवासी गाँवबेलारगोंडी, ताह। छुरिया, जिलाराजनंदगांव, छत्तीसगढ़, जिलाःराजनंदगांव ,छत्तीसगढ़

4. श्रीमती. कुंज बाटी पति मुरलीधर वर्मा, आयु लगभग 60 वर्ष किसान तथा निवासी बेलारगोंडी, ताह छुरिया, जिलाराजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

1. श्रीमती. बुंदा बाई वर्मा पति स्वर्गीय नागेश्वर वर्मा, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी सेवता पारा डोंगरगांव, ताह। डोंगरगाँव, जिला।राजनंदगांव, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2. चिंतारण उपनाम कृपाराम मृत विधिक प्रतिनिधि के द्वारा

2.1 – श्रीमती. सुनीता पति स्वर्गीय चिंटाहारन, 36 वर्ष गाँव शेवतपारा, डोंगरगांव, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

2.2 – टीनू पिता स्वर्गीय चिंटाहारन, संरक्षक माता सुनीता के द्वारा, लगभग 14 वर्ष निवासी ग्राम शेवतपारा, डोंगरगांव, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

2.3 – कुणाल पिता स्वर्गीय चिंटाहारन,15 वर्ष अभिभावक माँ सुनीता के द्वारा, पति स्वर्गीय चिंटाहारन, निवासी गाँव शेवतपारा, डोंगरगांव, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

3. रामकृष्ण वर्मा पिता मुरलीधर वर्मा, लगभग 55 वर्षीय किसान तथा निवासी ग्राम बेलारगोंडी, तहसील छुरिया, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़, वर्तमान निवासी पितावा कंडिका , डोंगरगांव, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

----वादीगण

4. छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर के द्वारा, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। प्रतिवादी संख्या 4

----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थियों हेतु :श्री शोभित कोष्टा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 1 से 3 हेतु :श्री एच. वी. शर्मा, अधिवक्ता।

राज्य हेतु :श्री तारकेश्वर नंदे, पैनल अधिवक्ता

(माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास न्यायाधीश)

सी. ए. वी. निर्णय

1. यह प्रतिवादियों की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत राजनांदगांव के माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा सिविल अपील संख्या 08–ए/2011 में दिनांक 7–5–2011 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध दायर की गई दूसरी अपील है, जिसके द्वारा माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपील को खारिज कर दिया है और राजनांदगांव के द्वितीय सिविल न्यायाधीश, श्रेणी–1 द्वारा सिविल वाद संख्या 36–ए/2008 में दिनांक 19–3–2010 को पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा दायर वाद को डिक्री कर दिया है।

2. यह अपील इस न्यायालय द्वारा 30–08–2012 पर विधि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्वीकार की गई थीः–––

"क्या अपीलकर्ता संख्या 2 और 3, अर्थात् जय प्रकाश और लेखचंद, हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 6 के संशोधित प्रावधानों के आलोक में सहदायिक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार होंगे?"

3. सुविधा के लिए, आगे पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष सिविल वाद संख्या 36–ए/2008 में दर्शाई गई उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।

4. वादपत्र के कथनों से प्राप्त संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:––

क. वादी ने 22.02.2003 को राजनांदगांव के प्रथम श्रेणी के माननीय सिविल न्यायाधीश के समक्ष विभाजन और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए वाद दायर किया गया। वादी का मुख्य तर्क यह था कि प्रतिवादी संख्या 1 वादपत्र की अनुसूची क और ख में वर्णित संपत्ति का वास्तविक स्वामी है।वादीगण का यह भी कहना है कि घनराम और हुकुम चंद बेलारगोंडी गांव में स्थित संपत्ति के सह–भागीदार थे। घनराम के कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी अमीरा बाई से तीन पुत्रियाँ थीं, जिनका नाम अनुसूया, तग्नि और श्याम कुंवर था। वादीगण का यह भी कहना है कि वे विवाहित थीं और अपने ससुराल में रह रही थीं।घनाराम के भाई हुकुम चंद के छह पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र मुरलीधर वर्मा था। घनराम का देहांत वर्ष 1922 में हुआ था।घनाराम की मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 मुरलीधर को दत्तक पुत्र के रूप में दत्तक ग्रहण किया गया .तदनुसार, दत्तक ग्रहण का दस्तावेज हुकुम चंद के जीवनकाल में 3–6–1944 को निष्पादित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बी. वादी पक्ष का यह भी कहना है कि घनराम की पत्नी अमीरा बाई ने मुरलीधर की देखभाल की थी, उन्होंने ही मुरलीधर का विवाह संपन्न कराया था और घनराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं 1 मुरलीधर को पैतृक संपत्ति विरासत में मिली थी।वादी का यह भी मामला है कि बेलारगोंडी गांव में स्थित विवादित भूमि घनराम और हुकुमचंद के संयुक्त नाम पर थी, जिस पर सीलिंग एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। उस मामले में प्रतिवादी संख्या 1 मुरलीधर ने हलफनामे के साथ जवाब दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनकी दो पत्नियां हैं:

पहली पत्नी सुलोचना और दूसरी पत्नी कुंजबती।मुरलीधर और सुलोचना के विवाह से दो पुत्र हुए, जिनका नाम नागेश्वर और रामकृष्ण है।वादियों का यह भी कहना है कि मुरलीधर के पुत्र नागेश्वर का 1971 में निधन हो गया था और वादी संख्या 1 बुंदाबाई नागेश्वर की विधवा हैं तथा वादी संख्या 2 स्वर्गीय नागेश्वर के पुत्र हैं। सुलोचना के जीवनकाल में, प्रतिवादी संख्या 1 मुरलीधर ने प्रतिवादी संख्या 5 को अपनी पत्नी के रूप में रखा था, जो कि शुरुआत से ही अमान्य है, इसलिए उसे कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।

सी. वादी का यह भी कहना है कि सुलोचना की हत्या वर्ष 1976 में हुई थी और इसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 को गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत ने उसे सजा सुनाई थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था।चूंकि प्रतिवादी संख्या 5 कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी, इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 1 और 2 को अपने घर से निकाल दिया।वादी संख्या 1 और 2 सेवतपारा, डोंगरगाँव में रहते हैं और वादी संख्या 3 भी उनके साथ रहता है क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।वादियों का यह भी कहना है कि

प्रतिवादी संख्या 1 ने पारिवारिक विभाजन के कारण खसरा संख्या 527 क्षेत्रफल वाली 13.37 एकड़ भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज कराई है, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 का वाद संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वाद संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार के नाम पर है और प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 की वैध संतान नहीं है।वादीगण का यह भी कहना है कि 13.37 एकड़ भूमि का नामांतरण कराने के बाद, वह पैतृक संपत्ति को प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर हस्तांतरित करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वादीगण ने अपने वकील के माध्यम से उसे नोटिस भेजा, जो अप्राप्त रह गया।वादीगण का यह भी कहना है कि वादीगण वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहदायिक हैं, इसलिए वे 1/3 भाग के हकदार हैं।

5. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वाद में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए अपना लिखित बयान दाखिल किया है।यह तर्क दिया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, "अधिनियम, 1956") के अनुसार, पुत्रियाँ संपत्ति की उत्तराधिकार की हकदार नहीं हैं और वाद संपत्ति के संबंध में कोई विभाजन नहीं हुआ है, बल्कि केवल ऋण प्राप्त करने के लिए उसने वाद संपत्ति को प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज कराया है।प्रतिवादियों ने वादी संख्या 1 के विरुद्ध कुछ आरोप लगाते हुए प्रतिदावा भी दाखिल किया। यह भी अस्वीकृत किया गया है कि वादी संख्या 2 नागेश्वर का पुत्र है, इसलिए वह वादग्रस्त संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों के कथनों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने कुल छह विवाद्यक निर्धारित किए हैं और विवाद्यक संख्या 1, 2 और 3 सुसंगत हैं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

"1. क्या, वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है?

2. क्या, वादग्रस्त भूमि में वादी क्रमांक–2 एवं 3 प्रतिवादी क्र.1 के साथ समासिताधारी है?

3. क्या, प्रतिवादी क्र.–1 द्वारा प्रतिवादी क्र.–2 के पक्ष को किया गया वादग्रस्त भूमि का अन्तरण अवैध है?"

7. वादी ने अपने मामले को साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं: (एक्स पी/ 1) नोटिस की कार्बन कॉपी, (एक्स पी/ 2) डाक रसीद, (एक्स पी/3) अखबार में प्रकाशित सामग्री की प्रति, (एक्स पी/ 4) नोटिस का बंद लिफाफा, (एक्स पी/ 5) पावती की प्रति, (एक्स पी/ 6) अधिकार अभिलेष पंजी की प्रमाणित प्रति, (एक्स पी/ 7) नामकरण पंजी की प्रमाणित प्रति और (एक्स पी/8 से एक्स पी/ 11 तक)। खसरा मानचित्र (एक्स पी/12), पुन: क्रमांकित पर्चा (एक्स पी/ 13), खसरा पंचशाला प्रपत्र (एक्स पी/ – 11 (एक्स पी/14 से एक्स पी/ 17), नामकरण पंजी (एक्स पी/ 18), प्रपत्र बी–1 किस्तबंदी कटाउनी (एक्स पी/19), नामकरण पंजी (एक्स पी/ 20 और 21), प्रपत्र बी–1 किस्तबंदी कटाउनी और (एक्स पी/22) शपथपत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। हमने बुंदाबाई (पी डब्लू /1), खुशराम (पी डब्लू /2), घरौ (पी डब्लू /3), मोह्यान (पी डब्लू /4) और घनश्याम (पी डब्लू /5) के कथन किया गया है। प्रतिवादियों ने अपने बयान को पुष्ट करने के लिए मुरलीधर (डी डब्लू /1), गेंदलाल (डी डब्लू/2), गीतादास वैष्णव (डी डब्लू/3), भगुला वर्मा नामक गवाहों की गवाही ली है, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

8. वादी संख्या 1 ने अपने शपथपत्र के माध्यम से दिए गए मुख्य बयान में अपने वादपत्र में दिए गए कथन को दोहराया है।प्रतिवादी द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई, जिसमें कंडिका 17 में उसने स्वीकार किया कि मुरलीधर को 73.00 एकड़ भूमि अपने पिता से मिली थी, न कि अपनी माता से।उसने यह भी स्वीकार किया कि मुरलीधर घनराम का दत्तक पुत्र था और मुरलीधर का असली पिता हुकुमचंद है।उसने यह भी बताया कि उसके ससुराल की दूसरी पत्नी से उसके तीन पुत्र हैं, जिनमें से एक पुत्र का निधन हो चुका है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मुरलीधर ने बड़े पुत्र के अलावा किसी और पुत्र को विभाजन नहीं दिया है।उसने यह भी स्वीकार किया है कि समस्त प्रतिवादी एक साथ रह रहे हैं, उसने यह भी कहा है कि मुरलीधर के भाइयों मध्य जो निर्णय लिया गया है वह 107 एकड़ से संबंधित है।उन्होंने यह भी कहा है कि इस निर्णय के अनुसार, उन्हें तथा रामकृष्ण को भी विभाजन में जमीन दी जानी चाहिए।उन्होंने यह भी कहा है कि मुरलीधर को भाइयों मध्य विभाजन पर 40 एकड़ जमीन दी गई है तथा बाकी 107 एकड़, 6 एकड़ जमीन भाई–बहन में से प्रत्येक को दी गई है।उन्होंने यह भी कहा है कि वह 40 एकड़ के विभाजन का दावा कर रही हैं तथा इसके अलावा वह 73 एकड़ के विभाजन का भी दावा कर रही हैं।

9. डी. डब्ल्यू./ 1 मुरलीधर ने शपथ पत्र के माध्यम से कथन दिया गया, जिसमें उन्होंने लिखित बयान में दिए गए अपने रुख को दोहराया और स्वीकार किया कि उन्होंने 13.37 एकड़ जमीन जयप्रकाश के नाम पर हस्तांतरित कर दी है।उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए उन्होंने यह संपत्ति हस्तांतरित की है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पूरी संपत्ति पैतृक संपत्ति थी और स्वेच्छा से कहा कि दत्तक पुत्र होने के नाते वे वादित संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं और इस पर उनका पूर्ण अधिकार है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनकी जो भी संपत्ति है, वह घनराम से प्राप्त हुई है, न कि उनके असली पिता से। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि हुकुमचंद से प्राप्त संपत्ति का बंटवारा उनके पांच भाइयों के बीच हो चुका है और मुरलीधर को नहीं दिया गया है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि बंटवारे में उन्हें जो भी संपत्ति मिली है, वह उन्हें अमीरा बाई और घनराम से प्राप्त हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. डी. डब्ल्यू/ 2 गेंदलाल, जिसने प्रतिवादी के पक्ष का समर्थन किया है, ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि परिवार में हुए घटनाक्रमों से संबंधित सभी विवरण उसे मुरलीधर की दूसरी पत्नी, यानी कुंजबती ने दिए थे।उसने इस बात से भी इनकार किया कि कुंजबती और मुरलीधर ने बुंदबती को घर से निकाल दिया था और स्वेच्छा से बताया कि नागेश्वर की मृत्यु के बाद वह उसके माता–पिता के साथ बेलोरागोंडी गांव में रह रही थी।

11. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य और अभिलेख में मौजूद सामग्री के आधार पर 19–3–2010 के निर्णय और डिक्री द्वारा वाद को डिक्री कर दिया है।विचारण न्यायालय ने प्रथम विवाद्यक पर निर्णय देते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार पुत्र अपने पिता के जीवनकाल में ही पैतृक संपत्ति का हकदार होता है। अदालत ने यह भी पाया है कि अनुसूची क और ख में उल्लिखित वाद संपत्ति संयुक्त हिंदू

परिवार की संपत्ति है और वादी संख्या 2 चिंताहरण, नागेश्वर का पुत्र है, जो मुरलीधर का पुत्र है। इस प्रकार वादी संख्या 1 और 2 सहदायिक हैं और वाद संपत्ति के उत्तराधिकार के हकदार हैं।विचारण न्यायालय ने यह भी पाया है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4, प्रतिवादी संख्या 1 मुरलीधर की विधिवत विवाहित पत्नी के जीवनकाल में उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र हैं, इसलिए वाद संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार, न्यायालय ने विभाजन के वाद को स्वीकार करते हुए यह घोषित किया है कि वादी संख्या 2 विभाजन के बाद संपत्ति का अलग कब्जा पाने का हकदार है और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख तथा भी अमान्य घोषित कर दिया है।

12. विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 7–5–2011 के अपने फैसले और डिक्री द्वारा डिक्री में संशोधन करते हुए यह निर्धारित किया कि वादी संख्या 2 और 2 संयुक्त रूप से वाद संपत्ति के 2/3 भाग के उत्तराधिकारी होंगे और प्रतिवादी संख्या 3 वाद संपत्ति के 1/3 भाग के उत्तराधिकारी होंगे। तदनुसार, प्रतिवादी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई।विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निष्कर्ष को भी दर्ज किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रतिवादी संख्या 1 तथा कुंजबती के अमान्य तथा अमान्य विवाह के साथ पैदा हुए थे, इसलिए, वे सह–पक्ष का गठन नहीं कर सकते थे तथा वे मुकदमे की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार नहीं हैं क्योंकि यह पैतृक संपत्ति है।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी पाया है कि अमान्य और शून्यकरणीय विवाह से जन्मा बच्चा केवल अपने पिता की स्व–अर्जित संपत्ति में ही भाग पाने का हकदार है। उक्त निर्णय और डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रतिवादियों ने इस न्यायालय में दूसरी अपील दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन 9–9–2005 से प्रभावी है, जबकि विभाजन पहले ही हो चुका है, इसलिए दोनों विचारण न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को पूर्वव्यापी रूप से लागू करके अवैधता की है और अपील को स्वीकार करने का अनुरोध किया।उन्होंने आगे निवेदन किया कि नाजायज बच्चा भी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार पाने का हकदार है।अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए **उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन और अन्य के मामले में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया है, जो 2023 (10) एससीसी 1 में प्रकाशित हुआ है, उत्तर पूर्वी रेलवे प्रशासन बनाम भगवान दास (डी) के मामले में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया है, जो एआईआर 2008 एससी 2139 में प्रकाशित हुआ है, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया है, जो श्रीमती गोमती देवी बनाम राम प्रसाद प्रभुदयाल के मामले में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया है, जो एआईआर 1958 एमपी 6 में प्रकाशित हुआ है।**

14. इसके विपरीत, प्रतिवादियों/वादियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने दोनों विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और डिक्री का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष किसी भी प्रकार से विकृत या अवैध नहीं है, जिसके लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।उन्होंने

आगे यह तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का मुख्य प्रश्न प्रतिवादियों के विरुद्ध और वादियों के पक्ष में निर्णयित किया जाना चाहिए।उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय तथ्यों का सर्वसम्मत निर्णय है, इसलिए दूसरी अपील की सुनवाई करते समय इस न्यायालय द्वारा तथ्यों के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए, **उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केरल राज्य बनाम मोहम्मद कुन्ही (2005) 10 एससीसी 139, माधवन नायर बनाम भास्करन पिल्लई (2005) 10 एससीसी 553, हरजीत बनाम अमरिक सिंह (2005) 12 एससीसी 270, भरत माता एवं अन्य बनाम आर विजया रेंगनाथन एवं अन्य (2010) ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू 3503 के निर्णयों का उल्लेख किया गया है और अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है।**

15. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है, ऊपर दिए गए विरोधी तर्कों पर विचार किया है और दोनों विचारण न्यायालय के अभिलेखों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

16. इस न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न की सराहना करने हेतु, इस न्यायालय हेतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 और 8 के साथ–साथ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 को निकालना समीचीन है जो निम्नानुसार हैंः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"6. सह–पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण:–––––

(1) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने की तिथि से, मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में, सहदायिक की पुत्री,––

(क) जन्म से ही पुत्र के समान सहदायिक हो जाएगी;

(ख) सहदायिक संपत्ति में उसके वही अधिकार होंगे जो पुत्र होने पर होते;

(ग) उक्त सहदायिक संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान ही दायित्वों के अधीन होगी, और हिंदू मिताक्षरा सहदायिक के संदर्भ में सहदायिक की पुत्री का संदर्भ भी शामिल माना जाएगा।परंतु कि इस उप–धारा में निहित कुछ भी संपत्ति के किसी भी विभाजन या वसीयती निराकरण सहित किसी भी स्वभाव या अलगाव को प्रभावित या अमान्य नहीं करेगा जो 20 दिसंबर, 2004 से पहले हुआ था।(2) उपधारा (1) के आधार पर किसी हिंदू स्त्री को प्राप्त होने वाली कोई भी संपत्ति सहदायिक स्वामित्व के अधिकारों सहित उसके पास रहेगी और इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी भी बात के होते हुए भी, उसे वसीयत द्वारा निपटान योग्य संपत्ति माना जाएगा।

(3) जहां हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ होने के बाद किसी हिंदू की मृत्यु हो जाती है, तो मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हिस्सा, इस अधिनियम के तहत वसीयत या बिना वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा, और सहदायिक संपत्ति को इस प्रकार विभाजित माना जाएगा जैसे कि विभाजन हुआ हो, और ––

(क) पुत्री को वही हिस्सा आवंटित किया जाएगा जो पुत्र को आवंटित किया जाता है।

(ख) पूर्व–मृत पुत्र या पूर्व–मृत पुत्री का हिस्सा, जैसा कि उन्हें विभाजन के समय जीवित होता, ऐसे पूर्व–मृत पुत्र या ऐसी पूर्व–मृत बेटी के जीवित बच्चे को आवंटित किया जाएगा; तथा

(ग) पूर्व–मृत बेटे या पूर्व–मृत बेटी के पूर्व–मृत बच्चे का हिस्सा, जैसा कि ऐसे बच्चे को मिलता, यदि वह विभाजन के समय जीवित होता, तो पूर्व–मृत बेटे या पूर्व–मृत बेटी के ऐसे पूर्व–मृत बच्चे के बच्चे को आवंटित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण:––

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, हिंदू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया जाता यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले संपत्ति का विभाजन हुआ होता, चाहे वह विभाजन का दावा करने का हकदार हो या नहीं।

(4) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद, कोई भी न्यायालय किसी पुत्र, पोते या परपोते के विरुद्ध उसके पिता, दादा या परदादा से देय किसी ऋण की वसूली के लिए केवल हिंदू कानून के तहत ऐसे पुत्र, पोते या परपोते के धार्मिक दायित्व के आधार पर कार्यवाही करने के किसी अधिकार को मान्यता नहीं देगा:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले लिए गए किसी ऋण के मामले में, इस उपधारा में निहित कोई भी बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी— (क) किसी लेनदार का पुत्र, पोते या परपोते के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार; या

(ख) ऐसे किसी ऋण के संबंध में या उसकी संतुष्टि में किया गया कोई अलगाव तथा ऐसा कोई अधिकार या अलगाव पवित्र दायित्व के नियम के तहत उसी तरीके से तथा उसी हद तक लागू किया जा सकता है जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 लागू नहीं किया गया था।

स्पष्टीकरण—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "पुत्र", "पोता" या "प्रपौत्र" पद, जैसा भी मामला हो, उस पुत्र, पोते या प्रपौत्र को संदर्भित करता है, जिसका जन्म या गोद लेना हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पहले हुआ था।(5)इस धारा में निहित कुछ भी विभाजन पर लागू नहीं होगा, जो 20 दिसंबर, 2004 से पहले प्रभावी हो गया है।

8. पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम।:––––

बिना वसीयत किए मरने वाले किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित होगी—(क) सर्वप्रथम, अनुसूची के वर्ग I में निर्दिष्ट संबंधियों के उत्तराधिकारियों को; (ख) द्वितीय, यदि वर्ग I का कोई उत्तराधिकारी न हो, तो अनुसूची के वर्ग II में निर्दिष्ट संबंधियों के उत्तराधिकारियों को; (ग) तृतीय, यदि दोनों वर्गों में से किसी का भी कोई उत्तराधिकारी न हो, तो मृतक के सगोत्रों को; और (घ) अंत में, यदि कोई सगोत्र न हो, तो मृतक के सगोत्रों को।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 निम्नानुसार है;

16. अमान्य तथा अमान्य विवाहों के बच्चों की वैधता।

(1) यदि कोई विवाह धारा 11 के अधीन शून्य और अमान्य घोषित किया जाता है, तब भी ऐसे विवाह से उत्पन्न कोई भी संतान, जो विवाह के वैध होने पर वैध होती, वैध मानी जाएगी, चाहे ऐसी संतान विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (68 ऑफ 1976) के प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात उत्पन्न हुई हो, और चाहे इस अधिनियम के अंतर्गत उस विवाह के संबंध में अमान्यता का आदेश दिया गया हो या नहीं, और चाहे इस अधिनियम के अंतर्गत याचिका के अलावा किसी अन्य आधार पर विवाह को शून्य घोषित किया गया हो या नहीं।

2.जहां धारा 12 के तहत किसी शून्यकरणीय विवाह के संबंध में शून्यकरण का आदेश दिया जाता है, वहां आदेश दिए जाने से पहले उत्पन्न या गर्भ में आया कोई भी बच्चा, जो विवाह के पक्षकारों का वैध बच्चा होता यदि आदेश की तिथि पर विवाह को रद्द करने के बजाय भंग कर दिया गया होता, शून्यकरण के आदेश के बावजूद उनका वैध बच्चा माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निहित कोई भी बात किसी ऐसे विवाह के बच्चे को, जो शून्य और अमान्य है या जिसे धारा 12 के तहत शून्यकरण के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया है, माता–पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में कोई अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं समझी जाएगी, ऐसे किसी भी मामले में जहां, इस अधिनियम के पारित होने के अभाव में, ऐसा बच्चा अपने माता–पिता का वैध बच्चा न होने के कारण ऐसे किसी अधिकार को प्राप्त करने या धारण करने में असमर्थ होता है।

17. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य और सामग्री से यह स्पष्ट है कि वाद संपत्ति पैतृक संपत्ति है और वादी सं 1 नागेश्वर वर्मा की विधवा है और चितरहरण वर्मा नागेश्वर वर्मा के पुत्र थे और नागेश्वर वर्मा और रामकृष्ण मुरलीधर वर्मा के पुत्र थे।प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने यह साबित करने के लिए कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं की है कि वाद संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की स्व–अर्जित संपत्ति थी, इस प्रकार हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अनुसार वादी पैतृक संपत्ति में सहदायिक हैं। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 के प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के समक्ष विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य के मामले में विचाराधीन थे, जो 2020 (9) एससीसी 1 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 137 में निम्नलिखित निर्णय दिया था:

137.....परिणामस्वरूप, हम संदर्भ का उत्तर इस प्रकार देते हैं:

(i) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रतिस्थापित धारा 6 में निहित प्रावधान संशोधन से पहले या बाद में जन्मी पुत्री को पुत्र के समान ही सहदायिक का दर्जा और समान अधिकार एवं दायित्व प्रदान करते हैं

(ii) पहले जन्मी पुत्री 9.9.2005 से इन अधिकारों का दावा कर सकती है, परंतु धारा 6(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 20 दिसंबर, 2004 से पहले हुए निपटान, हस्तांतरण, विभाजन या वसीयतनामा संबंधी निपटान पर छूट दी गई हो।

(iii) चूंकि सहदायिकता में अधिकार जन्म से प्राप्त होता है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि पिता सहदायिक 9.9.2005 को जीवित हो।

(iv) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के परंतुक द्वारा निर्मित विभाजन की वैधानिक परिकल्पना, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, वास्तव में विभाजन या सहदायिक उत्तराधिकार के विघटन को नहीं दर्शाती थी।यह परिकल्पना केवल मृतक सहदायिक के हिस्से का निर्धारण करने के उद्देश्य से थी, जब उसके पीछे अधिनियम, 1956 की अनुसूची में निर्दिष्ट प्रथम श्रेणी की कोई महिला उत्तराधिकारी या ऐसी महिला का कोई पुरुष संबंधी हो।संशोधित धारा 6 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू किया जाना आवश्यक है।यद्यपि प्रारंभिक डिक्री पारित हो जाने के बावजूद, अंतिम डिक्री के लिए लंबित कार्यवाही या अपील में पुत्रियों को सहदायिक उत्तराधिकार में पुत्र के बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिए।

(v) 1956 के अधिनियम की धारा 6(5) के स्पष्टीकरण के प्रावधानों की कठोरता को देखते हुए, मौखिक विभाजन की दलील को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त विभाजन विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा या न्यायालय के निर्णय द्वारा किया गया हो।हालाँकि, असाधारण मामलों में जहाँ मौखिक विभाजन के तर्क सार्वजनिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो और विभाजन अंततः उसी प्रकार सिद्ध हो जैसे कि न्यायालय के निर्णय द्वारा किया गया हो, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है।केवल मौखिक साक्ष्य पर आधारित विभाजन की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अतः, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा संशोधित यह निर्णय कि प्रत्येक वादी एक तिहाई हिस्सा पाने का हकदार है, साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर कानून के अनुरूप है और इसमें कोई विकृति या अवैधता नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

19. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह निवेदन कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 वाद संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं, भले ही वे प्रतिवादी संख्या 1 के शून्य और शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न हुए हों, इस न्यायालय द्वारा विचाराधीन है।इस तर्क को समझने के लिए, इस न्यायालय के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 16 के प्रावधानों का उल्लेख करना उचित है, जिसमें यह प्रावधान है कि शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के बावजूद, उनसे उत्पन्न संतान वैध होगी, चाहे ऐसी संतान विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (68 ऑफ 1976) के प्रारंभ होने से पहले या बाद में उत्पन्न हुई हो, और चाहे उस विवाह के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत शून्यकरण का आदेश दिया गया हो या नहीं, या चाहे विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत याचिका के अलावा किसी अन्य आधार पर शून्य घोषित किया गया हो।धारा 16(3) में यह भी प्रावधान है कि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निहित कोई भी बात

किसी ऐसे विवाह की संतान को, जो शून्य और अमान्य है या जिसे धारा 12 के तहत शून्यकरण के आदेश द्वारा रद्द किया गया है, माता–पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में कोई अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं समझी जाएगी।वर्तमान मामले में, वादित संपत्ति पैतृक संपत्ति है और अपीलकर्ता केवल अपने माता–पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं, पैतृक संपत्ति के नहीं। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 यह साबित करने में असमर्थ हैं कि वादित संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की स्व–अर्जित संपत्ति है।हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रावणसिदप्पा और अन्य बनाम मल्लिकार्जुन और अन्य के मामले में विचार किया है, जो 2023 (10) एससीसी 1 में रिपोर्ट किया गया है, और कंडिका 79, 80, 81 और 81.4 में निम्नलिखित निर्णय दिया है।

"79. उपरोक्त टिप्पणियों से यह प्रतीत होता है कि न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि शून्य या शून्यकरणीय विवाहों से उत्पन्न बच्चों को धारा 16 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसार वैधता प्रदान करते समय, संसद ने ऐसे बच्चों के संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया है, यह कहते हुए कि इन प्रावधानों में निहित कोई भी बात माता–पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं समझी जाएगी।इस बात को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने यह भी कहा है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के मामले में ऐसे बच्चे केवल अपने माता–पिता की संपत्ति में हिस्से के हकदार होंगे, लेकिन वे अपने अधिकार से उस पर दावा नहीं कर सकते, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने माता–पिता के जीवनकाल में विभाजन की मांग नहीं कर सकते है।हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा है कि एक बार ऐसे बच्चों को वैध घोषित कर दिया जाए, तो वे अन्य वैध बच्चों के बराबर होंगे।संदर्भित निर्णय के अनुच्छेद 29 में यह टिप्पणी कि धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के तहत वैधता प्राप्त बच्चा अन्य वैध बच्चों के बराबर होगा, ऐसे बच्चे के माता–पिता की संपत्ति में अधिकारों को मान्यता देने के संदर्भ में है, न कि किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

80. संदर्भित आदेश में दिए गए तर्क को इस प्रकार नहीं माना जा सकता है कि धारा 16 की दोनों उपधाराओं में से किसी एक के तहत वैधता प्राप्त व्यक्तियों को वैध विवाह से जन्मे बच्चों के बराबर संपत्ति में पूर्ण अधिकारों के हकदार हैं।धारा 16 (3) ने स्पष्ट रूप तथा निर्धारित किया है कि ऐतथा बच्चे के अधिकार जिन्हें धारा 16 की उप–धारा (1) या उप–धारा (2) द्वारा वैधता प्रदान की गई है, माता–पिता की संपत्ति के संबंध में होंगे न कि किसी अन्य व्यक्ति के।

81. अब हम निम्नलिखित शब्दों में अपने निष्कर्ष तैयार करते हैं:(i) धारा 16 की उपधारा (1) के अनुसार, धारा 11 के तहत शून्य घोषित विवाह से उत्पन्न संतान को विधिवत वैधता प्राप्त होगी,

चाहे (i) ऐसी संतान का जन्म संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ होने से पहले हुआ हो या बाद में;

(ii) उस विवाह के संबंध में अधिनियम के तहत शून्यकरण का आदेश दिया गया हो और विवाह को अधिनियम के तहत याचिका के अलावा किसी अन्य तरीके से शून्य घोषित किया गया हो;

(ii) धारा 16 की उपधारा (2) के अनुसार, जहां धारा 12 के तहत शून्यकरण के आदेश द्वारा किसी शून्यकरणीय विवाह को रद्द कर दिया गया है, तो आदेश दिए जाने से पहले 'जन्मित या गर्भित' संतान को आदेश के बावजूद उनका वैध संतान माना जाएगा, यदि विवाह के पक्षकारों के लिए वह संतान वैध होती यदि शून्यकरण के आदेश के स्थान पर विघटन का आदेश पारित किया गया होता;

(iii) किसी शून्य विवाह से जन्मे बच्चे को उपधारा (1) के अनुसार और किसी निरस्त किए गए शून्यकरणीय विवाह से जन्मे बच्चे को उपधारा (2) के अनुसार वैधता प्रदान करते समय, विधानमंडल ने धारा 16 की उपधारा (3) में यह निर्धारित किया है कि ऐसे बच्चे को माता–पिता की संपत्ति में अधिकार होगा, न कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में;

(iv) एचएसए 1956 की धारा 3(1)(जे) के प्रावधानों, जिनमें परंतुक भी शामिल है, की व्याख्या करते समय, एचएमए 1955 की धारा 16 द्वारा किसी शून्य या, जैसा भी मामला हो, शून्यकरणीय विवाह से जन्मे बच्चे को प्रदत्त वैधता को एचएसए 1956 के प्रावधानों में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एचएमए की धारा 16 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत वैध बच्चा, एचएसए 1956 की धारा 3(1)(जे) के प्रयोजनों के लिए, 'वैध रिश्तेदारी से संबंधित' स्पष्टीकरण के दायरे में आएगा और परंतुक के प्रयोजनों के लिए उसे 'अवैध बच्चा' नहीं माना जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उपरोक्त तथ्यों और कानून की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का जन्म अमान्य या शून्यकरणीय विवाह से हुआ था, इसलिए वे केवल अपने माता–पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं, न कि पैतृक संपत्ति के। अतः, दोनों निचली अदालतों ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में कोई अवैधता नहीं की है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का जन्म अमान्य और शून्यकरणीय विवाह से हुआ था और वे अपने माता–पिता की संपत्ति से हिस्सा पाने के हकदार हैं, न कि पैतृक संपत्ति से।यह निष्कर्ष साक्ष्य, कानून और अभिलेख में मौजूद सामग्री के मूल्यांकन पर आधारित है, अतः इसमें कोई विकृति या अवैधता नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का मुख्य प्रश्न प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं के विरुद्ध और वादियों/उत्तरदाताओं के पक्ष में उत्तरित किया जाना चाहिए।

21. अपीलकर्ताओं ने यह साबित करने के लिए कि वाद संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति है, आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख में शामिल करने हेतु एक आवेदन भी दायर किया है। उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री पशुशाला में रखे गए थे और तलाशी के बाद ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।दस्तावेज़ को सरसरी तौर पर देखने से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं ने अमीरा बाई की वसीयत और 56.61 एकड़ भूमि की 57 रुपये मूल्य पर विक्रय विलेख प्रस्तुत किया है।चूंकि इन दस्तावेजों के माध्यम से प्रतिवादी कथित वसीयत और विक्रय विलेख

के आधार पर स्वामित्व का दावा करते हुए एक नया मामला दायर करना चाहता है, जबकि इस संबंध में कोई दलील नहीं दी गई है, इसलिए ये दस्तावेज निचली अदालत के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा दी गई दलीलों से संबंधित नहीं हैं **और यदि इस दस्तावेज़ को अभिलेख में लिया जाता है तो एक नया मामला बनेगा जो सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय नहीं है। सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के प्रावधान हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इकबाल अहमद (मृत) बनाम मामले में विचार के लिए आए थे।इकबाल अहमद (मृत) उनके कानूनी वारिसों और अन्य बनाम अब्दुल शकूर 2025 आई. एन. एस. सी 1027 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 8 और 9 में निम्नलिखित कहा है:**

"8. हमारी राय में, यह विचार करने से पहले कि क्या कोई पक्ष संहिता के आदेश XLI नियम 27(1) के तहत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार है, पहले उस पक्ष के अभिवेदनों की जांच करना आवश्यक होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाने के लिए मामला इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है।"इस संबंध में आवश्यक अभिवचनों के अभाव में, किसी पक्ष को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना अनावश्यक होगा और यदि ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया भी जाता है, तो उसका कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि ऐसे साक्ष्यों पर विचार करना अनुमेय नहीं हो सकता है। इस संबंध में बछज नाहर बनाम नीलिमा मंडल और अन्य, AIR 2009 SC 1103 और भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन और अन्य, (2012) 8 SCC 148 के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है। इस प्रकार, संहिता के आदेश XLI नियम 27(1) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा, अपीलीय न्यायालय के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष के तर्क पर विचार करना भी आवश्यक होगा।इसके बाद ही, जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए कि संहिता के आदेश XLI नियम 27(1) के प्रावधानों के अनुसार मामला बनता है, तभी ऐसी अनुमति दी जा सकती है।वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई अभ्यास न किए जाने के कारण, हमारा मानना है कि प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार करने में उच्च न्यायालय ने त्रुटि की है।

9. जैसा कि हमने पाया है कि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन पर अपीलीय न्यायालय ने इस पहलू की जाँच किए बिना विचार किया है कि क्या प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्य प्रतिवादी के कथनों के अनुरूप था और क्या उसने ऐसा मामला स्थापित किया था, साथ ही इस तथ्य पर भी विचार किया है कि अतिरिक्त साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेने के बाद न्यायालय ने निर्णय को पलटते समय इस पर विचार किया था, इसलिए इस मामले पर उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।चूंकि हम पाते हैं कि इस मामले पर उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से पुनर्विचार की आवश्यकता है, इसलिए हमने उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निर्णय में हुई देरी के पहलू पर विचार नहीं किया है, जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया था।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतिरिक्त दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर लेने का आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार, इसे अस्वीकार किया जाता है।

22. अपीलकर्ताओं ने लिखित बयान में किए गए कथनों में संशोधन के लिए एक आवेदन भी दायर किया है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद संपत्ति का एकमात्र स्वामी है और यह उसकी निजी संपत्ति है क्योंकि उसने उक्त संपत्ति श्रीमती अमीरा बाई, घनराम की विधवा से 24.07.1952 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदी थी और श्रीमती अमीरा बाई ने अपने जीवनकाल में 01.07.1974 को मुरलीधर वर्मा के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी, अतः वर्ष 1978 में उनकी मृत्यु के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 वाद संपत्ति का एकमात्र स्वामी है और यह उसकी निजी संपत्ति है। उन्होंने विधि के अनुसार अनुच्छेद में संशोधन की भी मांग की है, इसलिए पैतृक संपत्ति में वादियों के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 2 से 4 भी हिस्से के हकदार हैं।

23. संशोधन को कब अनुमति दी जानी चाहिए और कब नहीं दीवानी मुकदमेबाजी में पक्षों के बीच विवाद का विवाद्यक है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में उन परिस्थितियों की जांच की है जब संशोधन को अनुमति दी जानी चाहिए और कब नहीं दी जानी चाहिए।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड बनाम आलोक कुमार लोढ़ा और अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या 3703–3750/2022 में अनुच्छेद** 8 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:"8. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने संशोधन आवेदन को स्वीकार करते समय इस तथ्य को ठीक से नहीं समझा और/या इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि इस प्रकार संशोधन की अनुमति देने और वादियों को संबंधित प्रभारों/गिरवी को आरंभिक रूप से शून्य घोषित करने के लिए प्रार्थना खंड को शामिल करते हुए वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देने से मुकदमों की प्रकृति बदल जाएगी। कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, यदि वादियों को प्रार्थना खंड सहित वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देने से मुकदमे की प्रकृति में परिवर्तन होने की संभावना है, तो उस स्थिति में न्यायालय द्वारा संशोधन की अनुमति देना उचित नहीं होगा।"इसके परिणामस्वरूप कार्रवाई के कारणों में भी गड़बड़ी होगी।"**फिर से** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बसवराज बनाम इंदिरा औरअन्य के मामले में, जो 2024 आई. एन. एस. सी 151 में प्रकाशित हुआ है, कंडिका 9, 12 और 13 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:"9. इस न्यायालय ने एम. रेवन्ना बनाम अंजनम्मा (मृत) के कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य 11 के मामले में यह राय दी थी कि संशोधन के लिए आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है यदि इसमें पूरी तरह से अलग, नया और असंगत मामला पेश करने या मुकदमे के मूल स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जाता है।आदेश VI नियम 17 सी.पी.सी. के अनुसार, वाद के विचारण शुरू होने के बाद संशोधन के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि उचित सावधानी बरतने के बावजूद पक्षकार उस मुद्दे को नहीं उठा सकता था विचारण की सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन चाहने वाले पक्षकार पर यह साबित करने का भार है कि उचित सावधानी बरतने के बावजूद ऐसा संशोधन पहले नहीं मांगा जा सकता था। यह अधिकार का मामला नहीं है।इसके अनुच्छेद संख्या 7 का उद्धरण नीचे दिया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"7. संशोधन की अनुमति अस्वीकार की जा सकती है यदि इसमें पूरी तरह से भिन्न, नया और असंगत मामला प्रस्तुत किया गया हो, या मुकदमे के मूल स्वरूप को चुनौती दी गई हो।"सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 का प्रावधान वाद की कार्यवाही शुरू होने के बाद तर्क में संशोधन के लिए आवेदन को लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि उचित सावधानी बरतने के बावजूद, पक्षकार मुकदमे की कार्यवाही शुरू होने से पहले इस मामले को नहीं उठा सकता था। यह प्रावधान, एक हद तक, किसी भी स्तर पर संशोधन की अनुमति देने के पूर्ण विवेकाधिकार को सीमित करता है।इसलिए, वाद की कार्यवाही शुरू होने के बाद संशोधन चाहने वाले व्यक्ति पर यह साबित करने का भार है कि उचित सावधानी बरतने के बावजूद, ऐसा संशोधन पहले नहीं मांगा जा सकता था।इस बात में कोई विवाद नहीं है कि संशोधन को अधिकार के रूप में, और हर परिस्थिति में, दावा नहीं किया जा सकता है। यद्यपि मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए सामान्यतः वादपत्र में संशोधन की अनुमति दी जाती है, फिर भी न्यायालय को इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि संशोधन का आवेदन सद्भावनापूर्ण है या दुर्भावनापूर्ण, और क्या संशोधन से दूसरे पक्ष को ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई आर्थिक रूप से पर्याप्त नहीं की जा सकती है।"

11. इस न्यायालय ने रेवाजीतु के मामले (उपरोक्त) में संशोधन के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारकों को सूचीबद्ध किया था। एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या संशोधन से दूसरे पक्ष को नुकसान होगा या क्या इससे मामले की प्रकृति और स्वरूप में मौलिक परिवर्तन आएगा या क्या संशोधित दावे पर नया वाद आवेदन दाखिल करने की तिथि से ही वर्जित हो जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यदि इस मामले में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है, तो निश्चित रूप से अपीलकर्ता को नुकसान होगा। वादपत्र में संशोधन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करते समय यह एक महत्वपूर्ण कारक है। विपक्षी पक्ष को प्राप्त कोई भी अधिकार आवेदन दाखिल करने में देरी के कारण छीना नहीं जा सकता है।"

24. प्रस्तावित संशोधन में किए गए निवेदनों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि वादी ऐसे नए निवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं जो निचली अदालत के समक्ष किए गए निवेदनों में निहित नहीं थे। यदि इस संशोधन को स्वीकृति दी जाती है, तो यह एक नया मामला खड़ा करने के समान होगा। अतः, प्रस्तावित संशोधन को लिखित बयान में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अंतरिम संशोधन आवेदन खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

25. फलस्वरूप, अपील योग्यताहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

26. तदनुसार एक डिक्री तैयार की जाए।

सही/-

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur